।। कार्यालय पुलिस आयुक्त, जोधपुर ।।

क्रमांक : पु.आ.-जोध/विशा/विविध/2024/ 1100 दिनांक : 23.04.2024

-:: आदेश ::-

(निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973)

आयुक्तालय जोधपुर में लोकसभा आम चुनाव-2024 दिनांक 26.04.2024 को होने जा रहे हैं। **मतदान समाप्ति से पूर्व के 48 घंटे निर्वाचन तंत्र के लिए,** न केवल निर्वाचन के दिन योजना के परिप्रेक्ष्य से बल्कि स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान के लिए कानून और व्यवस्था तथा अनुकूल वातावरण के निर्माण के दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 के तहत मतदान के समापन हेतु नियत समय के साथ समाप्त होने वाली 48 घंटो की पूर्व अवधि में निर्वाचन प्रचार अभियान समाप्त हो जाएगा। इसलिए इस अवधि में अनिवार्य रूप से वह अवधि सम्मिलित होती है जब सार्वजनिक सभाओं आदि के माध्यम से सभी निर्वाचन प्रचार क्रियाकलाप रोक दिए जाते हैं। मतदान-बद्व क्षेत्रों में कड़ी निगरानी बनाए रखने की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके की कोई अवांछित तत्व गैरकानूनी/अवैधानिक गतिविधियों जैसे कि राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए मतदाताओं को अनावश्यक रूप से प्रेरित करने और प्रभावित करने के लिए नगद, उपहार, शराब आदि के अवैध वितरण आदि में संलिप्त नहीं हो पाये।

अतः मैं शरद चौधरी, पुलिस उपायुक्त, मुख्यालय, आयुक्तालय जोधपुर, जोधपुर आयुक्तालय में स्वतंत्र, निष्पक्ष, भय मुक्त मतदान सम्पन्न कराने हेतु पूर्व में प्रसारित आदेश क्रमांक/641 दिनांक 16.03.2024 के क्रम में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत आदेश जारी करता हूं कि :-

1. मतदान के समापन दिनांक 26.04.2024 (शुक्रवार) समय सायं 06.00 बजे से 48 घंटे पूर्व दिनांक 24.04.2024 (बुधवार) सायं 06.00 बजे से दिनांक 26.04.2024 को रात्रि 11.59 बजे तक की अवधि के दौरान गैरकानूनी सभाओं पर प्रतिबंध और सार्वजनिक बैठकों पर रोक लगाने के संबंध में आदेश जारी किए जाते हैं, जो मतदान/निर्वाचन-बद्ध क्षेत्रों के लिए लागू होंगे।
2. निर्वाचन क्षेत्र के भीतर दिनांक 24.04.2024 (बुधवार) सायं 06.00 बजे से दिनांक 26.04.2024 (शुक्रवार) रात्रि 11.59 बजे तक यह आदेश प्रभावी रहेगा।
3. दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधित क्षेत्र में 5 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने/एक साथ आवाजाही करने की अनुमति नहीं है तथापि घर-घर जाकर प्रचार अभियान के संबंध में 48 घंटों के दौरान द्वार से द्वार भ्रमण प्रतिबंधित नहीं होगा।

चूंकि यह आदेश जनहित में जारी किया गया है तथा अत्यावश्यक प्रकृति का है तथा व्यक्तिगत तामिल करवाना संभव नहीं है अतः एक पक्षीय जारी किया जाता है। संबंधित विभाग एवं जनसंपर्क अधिकारी व्यापक प्रचार-प्रचार द्वारा आम जनता को सूचित करेंगे।

पुलिस उपायुक्त मुख्यालय जोधपुर

0291-2650900 ☎, 2650903 🖷, cp-jodhpur-rj@nic.in✉, CP Jodhpur(facebook), @cp_jodhpur(Twitter), PIN-342003

यह आदेश दिनांक 24.04.2024 (बुधवार) सायं 06.00 बजे से दिनांक 26.04.2024 (शुक्रवार) रात्रि 11.59 बजे तक प्रभावी रहेगा। उक्त निषेधाज्ञा की अवहेलना या उल्लंघन किये जाने पर संबंधित क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट/सक्षम पुलिस अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत कार्यवाही संस्थित की जा सकेगी।

यह आदेश आज दिनांक 23.04.2024 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मुद्रा से जारी किया गया है

(शरद चौधरी)
पुलिस उपायुक्त,
मुख्यालय, जोधपुर

प्रतिलिपिः निम्न को सादर सूचनार्थ –

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह एवं न्याय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान जयपुर।
3. अति. महानिदेशक पुलिस, प्रशासन/कानून एवं व्यवस्था, राजस्थान जयपुर।
4. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, इन्टेलीजेंस, राजस्थान, जयपुर।
5. पुलिस आयुक्त, जोधपुर।
6. सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर संभाग, जोधपुर।
7. उप महानिरीक्षक पुलिस, एस.एस.बी. जोन, जोधपुर।
8. जिला कलक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जोधपुर शहर/ग्रामीण।

प्रतिलिपिः निम्न को पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. पुलिस उपायुक्त, पूर्व/पश्चिम/यातायात/अपराध, आयुक्तालय जोधपुर।
2. पुलिस अधीक्षक, जी.आर.पी., जोधपुर।
3. उपखण्ड अधिकारी- जोधपुर शहर/लूणी/ओसियां/बिलाड़ा/भोपालगढ।
4. समस्त अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त, आयुक्तालय जोधपुर।
5. क्षेत्रीय/जिला परिवहन अधिकारी, जोधपुर।
6. समस्त सहायक पुलिस आयुक्त, आयुक्तालय जोधपुर।
7. जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी जोधपुर को स्थानीय समाचार पत्रों /मीडिया चैनल में प्रचार-प्रसार हेतु।
8. समस्त थानाधिकारी, आयुक्तालय जोधपुर।
9. प्रभारी, पुलिस नियन्त्रण कक्ष, आयुक्तालय जोधपुर।
10. नोटिस बोर्ड, कार्यालय आयुक्तालय जोधपुर।

पुलिस उपायुक्त,
मुख्यालय, जोधपुर

0291-2650900 ☎, 2650903 🖷, cp-jodhpur-rj@nic.in✉, CP Jodhpur(facebook), @cp_jodhpur(Twitter), PIN-342003